झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

दिनांक – 04/6/2020

संख्या–16/PMU–10–03/2019 का०–2706/अधिसूचना संख्या–5437 दिनांक–09.09.2010 तथा अधिसूचना संख्या–9519 दिनांक–22.09.2014 के द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (समूह 'घ' को छोड़कर) को प्रथम नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल के बाद चल एवं अचल संपत्ति के विवरणी को समर्पित करने का प्रावधान है। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों को ऑनलईन माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्राणाली (HRMS) के अंतर्गत चल–अचल संपत्ति विवरणी के ऑनलाईन मॉड्यूल को लागू करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत चल–अचल संपत्ति विवरणी को ऑनलाईन अपलोड करने की सुविधा के साथ–साथ 31 मार्च 2019 अथवा इसके पूर्व सपर्पित किये गए चल–अचल संपत्ति विवरणी को अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस online module का क्रियान्वयन निम्नवत् होगा :–

i. सभी कर्मी मानव संसाधन प्रबंधन प्राणाली (HRMS) के वेबसाइट jharpis.gov.in पर अपने Credential का उपयोग करते हुए चल–अचल संपत्ति विवरणी अपलोड कर सकेंगे।

ii. सभी नोडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि अपने विभाग के अधीन वैसे स्थापना पदाधिकारियों को जिन्हें संपत्ति विवरणी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है उन्हें APR Manager का रोल मानव संसाधन प्रबंधन प्राणाली (HRMS) सॉफ्टवेयर में अविलम्ब प्रदान करें तथा स्थानांतरण होने की स्थिति में रोल में समुचित बदलाव करें।

iii. सभी स्थापना प्रभारी जिन्हें अपने अधिनस्थ कर्मियों का चल–अचल संपत्ति विवरणी प्राप्त करना होता है वह अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी से APR Manager का रोल प्राप्त करेंगे तथा इसके माध्यम से चल–अचल संपत्ति विवरणी के प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

किसी तकनीकी पहलू पर यदि सहायता की आवश्यकता हो तो कर्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत संचालित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) से टोलफ्री संख्या–18003456568, दूरभाष संख्या–0651–2400865, झारनेट आईपी फोन संख्या–11476, निकनेट आईपी फोन संख्या–30043 तथा ईमेल–hrms.dopar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह) 3/6/20

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 16/PMU–10–03/2019 का०–2706/राँची, दिनांक–04/6/2020

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई० गजट, कर्मिक प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/20

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 16/ PMU –10–03/2019 का०– 2706 /राँची, दिनांक– 04/6/2020

प्रतिलिपि–महालेखकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/20

सरकार के प्रधान सचिव